चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/533
दिनांक : 20.12.2018

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की मुख्य परीक्षा–2019 की परीक्षायें फरवरी–मार्च, 2019 से प्रारम्भ होनी प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त परीक्षाओं के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त पाठ्यक्रमों के केवल प्रथम वर्ष (संस्थागत) अभ्यर्थियों के परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.ccsuweb.in** पर ऑन लाईन भरवाये जाने की अन्तिम तिथि 26.11.2018 निर्धारित थी। सन्दर्भित परीक्षाओं हेतु कतिपय परीक्षार्थी परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह गये हैं। **अतः माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुये फार्म भरने से वंचित स्नातक स्तर पर केवल प्रथम वर्ष (संस्थागत) (मुख्य परीक्षा/ भूतपूर्व छात्र Ex. Student/एकल विषय Single Subect/श्रेणी उन्नयन Division Improvement) अभ्यर्थियों को एक अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये परीक्षा फार्म भरने हेतु तिथियाँ निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :–**

ऑन–लाईन परीक्षा फार्म भरने की निर्धारित तिथियाँ निम्नानुसार हैं :–

01.	छात्र/छात्राओं हेतु वेबसाईट पर ऑन–लाईन परीक्षा फार्म भरने की पुनः विस्तारित तिथि	**20.12.2018**
02.	छात्र/छात्राओ द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन–लाईन भरने एवं ऑन–लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	**28.12.2018**
03.	समस्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों सहित परिपूर्ण परीक्षा फार्म महाविद्यालय/संस्थान में जमा करने की अन्तिम तिथि (पूर्व में भरे गये परीक्षा फार्मो सहित)	**31.12.2018**
04.	महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि	**02.01.2019**

नोट :–

1. **समस्त छात्र/छात्राओं को अपना मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) परीक्षा फार्म के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा सन्दर्भित परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।**
2. **प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से अनुरोध है कि परीक्षा फार्म के साथ संलग्न नामांकन प्रपत्र के साथ मूल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) (यू0पी0 बोर्ड को छोड़कर) अनिवार्य रूप से संलग्न करते हुये अलग से सूची परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें एवं प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) संलग्न करने वाले छात्र से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति प्रपत्र भी देना सुनिश्चित करें।**
3. **ऐसे स्नातक अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी स्नातक उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से व्यक्तिगत रूप में उत्तीर्ण की है, ऐसे अभ्यर्थी संस्थागत एकल विषय के परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह नहीं होंगे।**
4. **कोई भी अभ्यर्थी नेट/स्लैट/एम0फिल0/पी–एच0डी0 उपाधि धारण करने के उपरान्त ही केवल दो वर्ष के अन्दर स्नातक स्तर पर किसी भी एक वर्ष की सम्पूर्ण परीक्षा में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु केवल एक अवसर के लिये अर्ह होगा। स्नातकोत्तर (व्यक्तिगत) स्तर पर श्रेणी उन्नयन (Division Improvement) परीक्षा हेतु स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण करने के उपरान्त केवल दो वर्ष के अन्दर ही अर्ह होगा।**
5. **विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ दो वर्षों के परीक्षा फार्म भरे जाने हेतु अर्ह नहीं होगा।**
6. **समस्त छात्र/छात्रा नियमों की भली–भाँति जानकारी लेने के उपरान्त ही परीक्षा फार्म भरा जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा का स्वयं होगा।**

उप कुलसचिव (परीक्षा)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली–भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव को, कुलसचिव जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

क्रमशः....2

04. व्यैक्तिक सहायक–वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।

05. लेखाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

06. उप कुलसचिव (गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल/अति गोपनीय विभाग)।

07. समस्त अनुभाग प्रभारी, परीक्षा विभाग।

08. विश्वविद्यालय पूछताछ केन्द्र/सूचना पट।

09. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।

10. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत कम्पनी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

उप कुलसचिव (परीक्षा)